Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 24-2020/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 15, 2020 (MAGHA 26, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 15th February, 2020

No. 02-HLA of 2020/12/3024.— The Haryana State Higher Education Council (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 02- HLA of 2020

THE HARYANA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana State Higher Education Council Act, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana State Higher Education Council (Amendment) Act, 2020.

Amendment of section 2 of Haryana Act 4 of 2018.

2. In clause (f) of section 2 of the Haryana State Higher Education Council Act, 2018 (hereinafter called the principal Act), after the words "Higher Education", the words "including Government, Government aided, private colleges and universities" shall be inserted.

Amendment of section 3 of Haryana Act 4 of 2018.

3. In section 3 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) in clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) State Project Director-Member Secretary;";

(b) clause (d) shall be omitted;

(c) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Higher Education Department, Haryana or his representative not below the rank of Director, Higher Education Department, Haryana-Member;";

(d) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

"(f) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Technical Education Department, Haryana or his representative not below the rank of Director, Technical Education Department, Haryana-Member;";

(e) in clause (h),-

(I) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(II) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the State Government on the recommendation of Chairperson of the Council may add additional members/special invitees, as may be required.".

(ii) sub-section (4) shall be omitted;

(iii) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(5) One-fourth members of the Council including the Chairperson and the Member Secretary present in person shall form the quorum at every meeting of the Council:

Provided that if within fifteen minutes from the time appointed for the meeting, no quorum is present, the meeting shall stand adjourned. The adjourned meeting may take place after two hours on that very day or as decided by the Chairperson. At such an adjourned meeting, no quorum shall be necessary and the members present may transact the business for which the meeting was called for.".

Amendment of section 4 of Haryana Act 4 of 2018.

4. In section 4 of the principal Act, after the words "selects a Chairperson", the words "to be appointed by the State Government" shall be inserted.

Amendment of section 5 of Haryana Act 4 of 2018.

5. In sub-section (1) of section 5 of the principal Act, for the words "the selection", the words "preparing a panel for the selection committee for the appointment" shall be substituted.

Amendment of section 8 of Haryana Act 4 of 2018.

6. In sub-section (1) of section 8 of the principal Act, after the words "appointed by", the words "the State Government on the recommendations of" shall be added.

Amendment of section 10 of Haryana Act 4 of 2018.

7. In section 10 of the principal Act,-

(i) for clause (vii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(vii) to collect data pertaining to Higher Education from Government and institution from time to time;"; and

(ii) in clause (xiv), for the sign and word, "colleges", the words "of higher education" shall be substituted.

Amendment of section 11 of Haryana Act 4 of 2018.

8. In section 11 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the words "one meeting in three months", the words "two meetings in a year atleast once in six months" shall be substituted; and

(ii) sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of section 15 of Haryana Act 4 of 2018.

9. In section 15 of the principal Act, after the words "State Government", the words "and adopted by the Council" shall be added.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana State Higher Education Council came into existence after enactment of the Haryana State Higher Education Council Bill, 2018. The State Government considered it expedient to establish a State Council for Higher Education as a collective of the Government, Universities, academics and experts with a view to forge a synergic relationship among them by occupying an operational space between the Government and the Universities and Colleges on one hand and between the Universities/ Colleges and apex level regulatory bodies on the other. Since its establishment, the Council has been working towards bringing qualitative changes in higher education system in universities and colleges. To bring in more systemic changes and for the smooth functioning of the Council, it was observed that there is a requirement to bring amendment in some sections of the Haryana State Higher Education Council Act, 2018.

Hence, this Bill.

KANWAR PAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 15th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 02-एच०एल०ए०

हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020
हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2018 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (च) में, अनुमति प्राप्त शब्दों के बाद, ''सरकारी सहायता–प्राप्त, निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों सहित'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

2018 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(i) उप–धारा (1) में,–

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(ग) राज्य परियोजना निदेशक – सदस्य सचिव;'';

(ख) खण्ड (घ) का लोप कर दिया जाएगा;

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(ङ) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसका प्रतिनिधि, जो निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा की पदवी से नीचे का न हो – सदस्य;'';

(घ) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(च) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसका प्रतिनिधि, जो निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा की पदवी से नीचे का न हो – सदस्य;'';

(ङ) खण्ड (ज) में,–

(I) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(II) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि राज्य सरकार, परिषद् के अध्यक्ष की सिफारिश पर, अतिरिक्त सदस्यों/ विशेष आमन्त्रितियों, जो अपेक्षित हों, को शामिल कर सकती है।''।

(ii) उप–धारा (4) का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) उप–धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(5) अध्यक्ष सहित समिति के एक चौथाई सदस्य तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य सचिव, परिषद् की प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति करेंगे :

परन्तु बैठक के लिए नियत समय से पन्द्रह मिनट के भीतर, कोई गणपूर्ति नहीं है, तो बैठक स्थगित हो जाएगी। स्थगित बैठक उस दिन दो घन्टे बाद या अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित अनुसार हो सकती है। ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोई भी गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी तथा उपस्थित सदस्य कारबार, जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी, का संव्यवहार कर सकते हैं।''।

2018 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, ''चयन समिति'' शब्दों के बाद, ''राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले'' शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में, ''अध्यक्ष के चयन के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु चयन समिति के लिए कोई पैनल तैयार करते हुए'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 5 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) में, ''सदस्यी समिति'' शब्दों के बाद, ''की सिफारिशों पर राज्य सरकार'' शब्द जोड़े जाएंगे। 2018 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 8 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 में,– 2018 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 10 का संशोधन।

(i) खण्ड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(vii) सरकार तथा संस्था से, समय–समय पर, उच्चतर शिक्षा से संबंधित डाटा संग्रहण करना;'';

(ii) खण्ड (xiv) में, ''नई संस्थाओं, महाविद्यालयों'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''उच्चतर शिक्षा की नई संस्थाओं'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. मूल अधिनियम की धारा 11 में,– 2018 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 11 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) में, ''तीन मास में कम से कम'' शब्दों के स्थान पर, ''वर्ष में दो बैठक छह मास में कम से कम एक बार'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (3) का लोप कर दिया जाएगा।

9. मूल अधिनियम की धारा 15 में, ''विहित की जाए'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्दिष्ट की जाए और परिषद् द्वारा स्वीकार की जाए'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2018 का हरियाणा अधिनियम 4 की धारा 15 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018 के लागू होने के बाद हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अस्तित्व में आई। राज्य सरकार ने आवश्यक समझते हुए हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना की जिससे राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, शैक्षिक जगत एवं विशेषज्ञों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनाए जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार में उच्चतर शिक्षा के संबंध में समन्वय बन सके, जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की उच्च स्तर की नियामक संस्थाओं के साथ सकारात्मक संबंधों का निर्माण हो सके। अपनी स्थापना के बाद से परिषद् विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर रही है। कुछ प्रणालीगत परिवर्तन लाने और परिषद् के सुचारू संचालन के लिए यह देखा गया कि हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम 2018 की कुछ धाराओं में संशोधन लाने की आवश्यकता है।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

कंवर पाल,
शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ः
दिनांक 15 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8692—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.